## विचार बिन्दु

**असत्य फूस के ढेर की तरह है। सत्य की एक चिनगारी भी उसे भस्म कर देती है। –हरिभाऊ उपाध्याय**

# मांझी जो नाव डुबोए, उसे कौन बचाए?

जब से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के घर पर आग बुझाने के लिए गई फायर ब्रिगेड को नोटों की जली हुई गड्डियां मिलने की खबर सामने आई है, तब से पूरे देश में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे तो, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की खबरें यदा कदा आती रही हैं, किंतु इस प्रकार से उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के घर से इतनी बड़ी संख्या में नकदी, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है, पहली बार मिली है। यदि न्यायाधीश के घर में आग नहीं लगी होती तो इस प्रकार का कोई प्रकरण सामने आने का प्रश्न ही नहीं था। अन्य लोक सेवकों के विरुद्ध, जिस प्रकार भ्रष्टाचार निरोधक विभाग अथवा सीबीआई रेड कर सकती है, वैसा वह किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के यहां नहीं कर सकती, क्योंकि इसके लिए उन्हें संबंधित मुख्य न्यायाधीश की अनुमति की आवश्यकता होती है।

लोग खुल कर न्यायाधीशों के भ्रष्टाचार की बात इसलिए भी करने से डरते हैं, क्योंकि अवमानना का भय रहता है।

आश्चर्य की बात यह है कि घटना 14 मार्च 2025 की है और पांच दिन तक इसके बारे में न सुप्रीम कोर्ट ने कोई जानकारी दी न ही सरकार ने इस बारे में मीडिया को कुछ बताया। पहली बार इसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से 20 अप्रैल को प्राप्त हुई, जब प्रमुख समाचार पत्र 'टाइम्स ऑफ इंडिया' के वरिष्ठ संवाददाता धनंजय महापात्र की विस्तृत रिपोर्ट मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित हुई । रिपोर्ट में बताया गया कि जस्टिस वर्मा के घर में आग लगने पर जब फायर ब्रिगेड वहां पहुंची तो बड़ी संख्या में जले हुए नोट प्राप्त हुए। यह समझने से परे है कि इस बारे में पुलिस विभाग या फायर ब्रिगेड के किसी अधिकारी ने कोई औपचारिक बयान क्यों नहीं जारी किया? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मीडिया को वस्तुस्थिति की कोई जानकारी न देने के कारण पूरे दिन अफवाहों का बाजार गर्म रहा। किसी ने प्राप्त नोटों की कीमत 15 करोड़ बताई तो किसी ने 50 करोड़ रुपए। सोशल मीडिया के विभिन्न चैनलों पर इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा आयोजित की गई।

पहली खबर यह आई कि सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने न्यायाधीश वर्मा का स्थानांतरण दिल्ली से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कर दिया। यह उल्लेखनीय है कि न्यायाधीश वर्मा का स्थानांतरण इलाहाबाद उच्च न्यायालय से दिल्ली उच्च न्यायालय में 2021 में किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश की मीडिया में आलोचना होने पर, इस आदेश को वेबसाइट से हटा लिया गया और कहा गया कि स्थानांतरण का इस घटना से कोई संबंध नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय को एक तथ्यात्मक रिपोर्ट दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने भेजी जिसमें जलते हुए नोटों की वीडियो रिकॉर्डिंग तथा जस्टिस वर्मा का स्पष्टीकरण भी शामिल था।

इलाहाबाद न्यायालय के बार एसोसिएशन ने यह प्रस्ताव भी पारित कर दिया कि वह न्यायाधीश वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में शपथ ठाहण नहीं करने देंगे क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय कोई 'डस्ट बिन' नहीं है। इसी बीच फायर ब्रिगेड के मुख्य फायर अधिकारी ने तो यहां तक कह दिया था कि आग बुझाने वाली टीम को किसी प्रकार के नोटों की गड्डियां प्राप्त नहीं हुईं।

जब सभी ओर से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित कार्यवाही न करने की आलोचना होने लगी तो फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने एक जांच समिति गठित की, जिसका सदस्य हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश, पंजाब-हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश और कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश को बनाया गया। अच्छा होता यदि इस समिति में न्यायाधीशों के अतिरिक्त समाज के निष्पक्ष और प्रबुद्ध व्यक्तियों को भी सम्मिलित किया जाता।

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने यह आदेश पारित किया कि जस्टिस वर्मा किसी प्रकार का कोई न्यायिक कार्य नहीं करेंगे जब तक कि उनके विरुद्ध जांच पूरी नहीं हो जाए। जस्टिस वर्मा के तथाकथित भ्रष्टाचार का यह प्रकरण सबकी आंखें खोल देने के लिए पर्याप्त है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 और 218 में क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय की आंतरिक जांच समिति द्वारा आरोप सिद्ध होने पर उसे सरकार के पास भेजा जाता है। यदि संसद उसे दो तिहाई बहुमत से पारित कर दे तो फिर राष्ट्रपति को संबंधित न्यायाधीश को हटाने की सिफारिश की जाती है। अंत में राष्ट्रपति, हटाने के आदेश जारी करते हैं। उल्लेखनीय है कि आज तक किसी न्यायाधीश को हटाया नहीं गया है। संसद में प्रकरण गए अवश्य, किंतु महाभियोग का प्रस्ताव पारित होने से पूर्व ही संबंधित न्यायाधीशों ने त्याग पत्र दे दिया।

न्यायाधीशों को मिली इसी सुरक्षा के कारण भ्रष्टाचार के आरोप होने के बावजूद भी उनके विरुद्ध कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो सकती है।

**यह सारा प्रकरण न्यायपालिका का दोहरा चरित्र भी दिखाता है । एक ओर, जहां राजनीतिज्ञों ,प्रशासनिक अधिकारियों एवं अन्य लोक सेवकों पर भ्रष्टाचार के आरोप होने पर कड़ी कार्रवाई की बात कहते हुए उन्हें जमानत तक नहीं मिलती है, वहीं, अपने स्वयं के किसी सदस्य पर इस प्रकार का आरोप लगने पर वह उसे बचाने में पूरी तरह जुट जाती है।**

यह सारा प्रकरण न्यायपालिका का दोहरा चरित्र भी दिखाता है । एक ओर, जहां राजनीतिज्ञों ,प्रशासनिक अधिकारियों एवं अन्य लोक सेवकों पर भ्रष्टाचार के आरोप होने पर कड़ी कार्रवाई की बात कहते हुए उन्हें जमानत तक नहीं मिलती है, वहीं, अपने स्वयं के किसी सदस्य पर इस प्रकार का आरोप लगने पर वह उसे बचाने में पूरी तरह जुट जाती है। मीडिया में प्रकाशित समाचारों के अनुसार जस्टिस वर्मा का यह कहना है कि यह राशि उनकी नहीं है एवं उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि यह राशि न्यायाधीश वर्मा के आवासीय परिसर में ही स्थित एक स्टोर रूम में रखी थी । यह सामान्य विवेक से परे है कि किसी न्यायाधीश के घर में इतनी संख्या में नोट पड़े हो और उसका कोई ज्ञान उनको को न हो। क्या इसी प्रकार की बात कोई अधिकारी कहता तो क्या न्यायालय उसे सही मान लेता ?

गत कुछ दिनों में न्यायाधीशों द्वारा दिए गए समाज विरोधी एवं अजीबोगरीब निर्णय भी चर्चा का विषय रहे हैं। हाल ही में इलाहाबाद न्यायालय के जस्टिस मिश्र द्वारा यह निर्णय दिया गया कि किसी नाबालिग बालिका के निजी अंगों पर हाथ फेरना ,उसके पजामे का नाडा खोलना और उसे घसीट करके किसी पुलिया के नीचे ले जाना, बलात्कार के प्रयास की परिभाषा में नहीं आता है। इसी आधार पर जिला न्यायालय द्वारा दी गई 7 वर्ष की सजा को निरस्त करते हुए अभियुक्त को बरी कर दिया गया । महिलाओं के प्रति इतनी घटिया मानसिकता वाले जज का उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर बने रहना क्या उचित कहा जा सकता है? किंतु उन्हें हटाना महाभियोग के माध्यम से ही संभव है जो लगभग असंभव है। उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश किसी नाबालिग बालिका के प्रति अपराध संबंध में यह विचार रखे, फिर भी वह न्यायाधीश बने रहें, इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या हो सकता है?

इसी प्रकार एक न्यायाधीश शेखर यादव ने विश्व हिंदू परिषद की बैठक में यहां तक कहा कि देश में बहुमत का निर्णय चलेगा और उसी का निर्णय सबको मानना होगा। यह एक साम्प्रदायिक बयान था। न्यायाधीश के इस वक्तव्य को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी सही और उचित सिद्ध करने का प्रयास किया । सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष न्यायाधीश शेखर यादव को नोटिस भेज कर बुलाया गया एवं उनका स्पष्टीकरण लिया गया किंतु उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ और वे अपनी बात को सही ठहराते रहे। अभी भी न्यायाधीश यादव अपने न्यायालय में यथावत काम कर रहे हैं।

कभी-कभी लगता है कि संविधान में न्यायाधीशों को जिस प्रकार की सुरक्षा प्राप्त है, उसके कारण उन्होंने स्वयं को कानून से ऊपर समझना प्रारंभ कर दिया है। न्यायाधीशों के स्तर हीन निर्णयों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने भी चिंता व्यक्त की है। इन सबके बावजूद यदि ऐसे न्यायाधीश बने रहते हैं, जिन्हें लोगों के भाग्य का निर्णय करने का अधिकार होता है, तो यह न्यायपालिका के पतन की पराकाष्ठा ही कहा जाएगा ।

हाल ही में, जब उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर भारत के लोकपाल ने संज्ञान लेकर जांच प्रारंभ की, तो उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह कह कर रोक लगा दी कि लोकपाल के दायरे में न्यायाधीश नहीं आते हैं। स्वयं के बारे में इस प्रकार का निर्णय लेना क्या स्वयं को एक प्रकार से खुदा समझना नहीं है ?

कोई भी संस्था जवाबदेही के अभाव में निरंकुश हो जाती है। कुछ इसी प्रकार की प्रवृत्ति आजकल न्यायपालिका में दिखाई दे रही है । एक ओर जहां कार्यपालिका और विधायिका द्वारा गलत कार्य करने पर न्यायपालिका अंकुश लगाती है, वही न्यायपालिका ही स्वयं संविधान विरोधी काम करने लगे या भ्रष्ट हो जाए तो फिर उसकी जवाबदेही कैसे तय की जाएगी? इसी प्रकार की स्थिति पर ये पंक्तियां सटीक बैठती हैं ''मांझी जब नाव डुबोए तो उसे कौन बचाए?''

जब न्यायपालिका को जवाबदेह बनाने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक जवाबदेही कानून बनाया गया, तो उसे सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक मानते हुए निरस्त कर दिया। जस्टिस वर्मा प्रकरण ने इस चर्चा को पुनः जीवित किया है कि एन जे ए सी National Judicial Appointment and Accountability Commission) बनाया जाय।

संविधान निर्माताओं ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे व्यक्ति न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हो जाएंगे जो संविधान की भावना के विपरीत फैसला देंगे एवं समाज में विघटन का कार्य करेंगे । जब भ्रष्टाचार के आधार पर, पैसे लेकर न्याय होने लगेगा, तो उसे 'बिकने वाला न्याय' ही कहा जाएगा।

प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण ने तो एक बार यहां तक कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय के आठ न्यायाधीश भ्रष्ट हैं और उन्होंने उसकी सूची भी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सौंपी थी। इस बार मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जस्टिस वर्मा से संबंधित सारे रिकॉर्ड, वीडियो रिकॉर्डिंग और अन्य कार्रवाई को सार्वजनिक करने का काम किया है ।

यह एक स्वागत योग्य कदम है और न्यायपालिका के कामकाज को अधिक पारदर्शी बनाएगा। मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित समिति शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट देगी जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी ।

इस बात का भी समय आ गया है जब न्यायाधीशों को प्रदत्त पूर्ण संवैधानिक सुरक्षा पर भी पुनः विचार किया जाय। अच्छा होगा यदि इसकी पहल न्यायपालिका द्वारा ही की जाय।

**–अतिथि सम्पादक,**
**राजेन्द्र भाणावत**
**( पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी )**

# राजस्थान दिवस का उत्सवी आगाज़

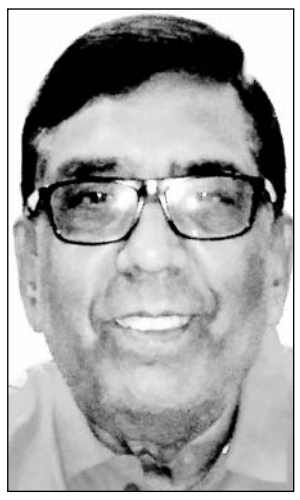

**बाल मुकुन्द ओझा**

राज्य की भजनलाल सरकार ने हिन्दू नववर्ष (वर्ष प्रतिपदा) पर राजस्थान स्थापना दिवस मनाने का उत्सवी आगाज किया है। राज्य सरकार जनभागीदारी के साथ राजस्थान दिवस मनाने जा रही है। प्रदेशभर में राजधानी से लेकर पंचायत मुख्यालय तक 25 मार्च से 31 मार्च तक विविध कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश के गरीब, युवा, महिला और किसानों को विशेष सौगातें दी जाएगी।

इसके साथ ही निवेश उत्सव, सुशासन समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। राजस्थान दिवस समारोह का आगाज 25 मार्च को मरूधरा बाड़मेर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में आयोजित मातृवन्दन को समर्पित 'महिला सम्मेलन' से होगा। वहीं 26 मार्च को 'किसान सम्मेलन एवं एफ.पी.ओ. कार्यक्रम' के मुख्य समारोह का आयोजन बीकानेर में तथा 27 मार्च को 'गरीब एवं अन्त्योदय' का मुख्य कार्यक्रम भरतपुर में आयोजित किया जाएगा। इसी तरह 28 मार्च को 'सुशासन समारोह' का आयोजन भीलवाड़ा में एवं 29 मार्च को 'युवा एवं रोजगार उत्सव' का आयोजन कोटा में होगा। राज्य स्तरीय 'सांस्कृतिक कार्यक्रम' 30 मार्च (चैत्र शुक्ल प्रतिपदा) को एवं राज्य स्तरीय 'निवेश उत्सव' 31 मार्च को जयपुर में आयोजित किया जाएगा।

नववर्ष समारोह समिति के प्रवक्ता महेन्द्र सिंहल ने कहा कि राजस्थान का गठन मुहूर्त के अनुसार वर्ष प्रतिपदा को हुआ था, जो संयोगवश 30 मार्च को पड़ा। लंबे समय से वर्ष प्रतिपदा को राजस्थान दिवस के रूप में मान्यता देने की मांग की जा रही थी, जो अब पूरी हुई है। उन्होंने आव्हान किया कि अब सभी मिलकर वर्ष प्रतिपदा को राजस्थान दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लें। अब तक 30 मार्च को मनाए जाने वाला राजस्थान दिवस सरकारी कार्यक्रम बनकर रह गया था, अब यह समाज का उत्सव बनेगा।

नववर्ष समारोह समिति का कहना है भारतीय कालगणना और संवत्सर खगोलीय सिद्धांतों पर आधारित हैं, किसी विचार या पंथ पर नहीं। ऐसे में विदेशी प्रणाली का अंधानुकरण हमारी बौद्धिक गुलामी का प्रतीक है। जैसे होली और दीपावली तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं, वैसे ही राजस्थान दिवस को भी तिथि के आधार पर मनाना चाहिए। सरदार पटेल सहित किसी भी नेता ने 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में चिह्नित नहीं किया था। अंग्रेजों के जाने के बावजूद उनकी व्यवस्थाएं हम पर हावी रहीं, जिससे वास्तविक राजस्थान दिवस को भुला दिया गया। अब वर्ष प्रतिपदा को उसका उचित स्थान मिलने से गौरवशाली परंपरा को पुनर्स्थापित किया जा सकेगा।

राजस्थान अपनी आन, बान, शान, शौर्य, साहस, कुर्बानी, त्याग, बलिदान तथा वीरता के लिए सम्पूर्ण विश्व में ख्यात है। स्थापना दिवस पर हमें अपने वर्तमान के साथ सुनहरे अतीत को याद करने की महत्ती जरुरत हैं। किसी ने सही कहा है, वर्तमान अतीत की कुंजी है। आज हमारे प्रतीकों पर हमले हो रहे है। हमारे महापुरुषों के सम्बन्ध में भ्रांतियां फैलाई जा रही है। जिनका मुंहतोड़ जवाब देना जरुरी हो गया है। विदेशी आक्रांता हमारे आइकॉन नहीं हो सकते। इस दृष्टि से भी जनता को जागरूक करना आवश्यक हो गया है।

भौगोलिक विषमताओं और प्राकृतिक चुनौतियों के बावजूद यहां के नागरिकों की दृढ़ इच्छा शक्ति और आपसी सहयोग से प्रदेश का चहुंमुखी विकास हो सका है। राजस्थान में गरीब लोगों के सामाजिक, आर्थिक स्थिति में सुधार, संसाधनों में वृद्धि और राजनीति, व्यवसाय आदि सभी क्षेत्रों में विकास, हमारी खुशहाली के प्रतीक हैं। राजपूताना कहे जाने वाले राजस्थान का इतिहास गौरवशाली रहा है जिस पर हर प्रदेशवासी को गर्व है। मातृ भूमि की रक्षा एवं परम्पराओं तथा संस्कृति को अक्षुण्ण बनाये रखने में यहां के लोगों ने सदैव पहल की है। राजस्थान की कला, साहित्य और सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि विश्व में अपनी अलग पहचान रखती है। राजस्थान इस वर्ष अपना 76वां स्थापना दिवस मना रहा है। कला-संस्कृति, पर्यटन व्यापार, खेल और खेती सभी क्षेत्रों में सबसे आगे हैं राजस्थानी।

राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान रेतीला, बंजर, पर्वतीय और उपजाऊ कच्छारी मिट्टी से मिलकर बना है। राज्य की अर्थ व्यवस्था कृषि एवं ग्रामीण आधारित है। कृषि और पशु पालन यहां के निवासियों के मुख्य रोजगार है। आजादी के बाद इस प्रदेश ने निश्चय ही प्रगति और विकास की ऊंचाईयों को छुआ है। वर्षा की अनियमितता के कारण यह प्रदेश अनेकों बार सूखे और अकाल का शिकार हुआ। मगर प्रदेशवासियों ने विपरीत स्थितियो में भी जीना सीखा और अपने बुलन्द हौसले को बनाये रखा। यह सही है कि हमने हर क्षेत्र में प्रगति हासिल की है। स्कूलों की संख्या बढ़ी है। छात्रों का नामांकन भी दुगुना-चौगुना हुआ है। गांव-गांव और घर-घर बिजली की रोशनी प्रज्जवलित हुई है। सड़कों का जाल भी चहुंओर देखने को मिल रहा है। गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ा गया है। पेयजल के क्षेत्र में अच्छी-खासी प्रगति हुई है। गांव-गांव और शहर-शहर में पानी पहुंचाया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्रों में बड़ी कामयाबी हासिल की गई है।

गांव-गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाया गया है। मैट्रो सिटी में बड़े अस्पताल बनाये गये हैं और जटिल से जटिल रोगों का इलाज किया जा रहा है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से भी हम आगे बढ़े हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र राजस्थान में पहले लोग उद्योग-धंधे स्थापित करने से डरते थे। आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होने और लालफीताशाही के कारण उद्योगपति राजस्थान आने से डरते थे। यहाँ तक कि प्रवासी उद्योगपति भी अपने क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने में हिचकिचाते थे। मगर आज आधारभूत सुविधाएँ सुलभ होने के कारण राजस्थान में बड़ी तेजी से बड़े और वृहद् उद्योग स्थापित हुए हैं। औद्योगिक विकास के क्षेत्र में राजस्थान का काया कल्प हुआ हे। हमारे लाखों नौजवानों को रोजगार मिला है। राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में काफी समृद्धशाली राज्य है। यहाँ के किले, हवेलियाँ, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर मेले, महल, झीलें, पर्यटकों को बरबस अपनी ओर आकर्षित कर रही है। राजस्थान का पर्यटन के क्षेत्र में विश्व में प्रमुख स्थान है। पर्यटन राज्य के रूप में प्रदेश ने विश्व मानचित्र में अपनी अनूठी पहचान बनाई है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी ऐतिहासिक और समृद्ध विरासतों को संरक्षित कर उन्हें रोजगार से जोड़े ताकि वर्तमान अतीत की कुंजी है की भावना सार्थक हो।

इसके साथ ही राजस्थान में हुई प्रगति को अनदेखा करना अनुचित होगा। मगर प्रगति के साथ साथ लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार और कुशासन के क्षेत्र में भी हम पीछे नहीं रहे। राजस्थान की प्रगति को भ्रष्टाचार और अकर्मण्यता ने लील लिया। विशेषकर पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान सरकारी सेवाओं में भर्ती और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार की अनगिनत शिकायतों से प्रदेश जूझ रहा है। राजस्थान दिवस के अवसर पर हमें प्रगति के साथ-साथ प्रगति के अवरोधों पर भी गंभीरता से चिन्तन और मनन करना चाहिये।

**–बालमुकुन्द ओझा,**
**वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार**

# जिला कलेक्टर और एसपी ने कैलादेवी मेले की व्यवस्थाएं जांची

## बिजली, पानी, सड़क, शौचालय आदि का जायजा लेते हुए भंडारा संचालकों को निर्देश दिए

**करौली,** (निसं)। उत्तर भारत के प्रमुख शक्तिपीठ तीर्थ स्थल आस्था धाम कैलादेवी में 26 मार्च से शुरू होने वाले मेले को देखते हुए जिला कलेक्टर गंभीर और सजग नजर आ रहे हैं, जिन्होंने पुलिस अधीक्षक के साथ संबंधित विभागों के अधिकारियों को साथ लेकर गंगापुर मोड़ से कैलादेवी मंदिर तक पैदल ही सड़क पर चलकर बिजली, पानी, सड़क, शौचालय आदि का जायजा लेते हुए भंडारा संचालकों को निर्देश दिए।

कैलादेवी का मेला 26 मार्च से शुरू होने जा रहा है जिसके चलते पद यात्रियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आने वाले पदयात्री एवं दर्शनार्थियों कि सुविधा में किसी तरह की कमी नहीं रहे की भावना को देखते हुए जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना गंभीर और सजग नजर आ रहे हैं।

उन्होंने बीते एक माह में कई बार जिला स्तरीय अधिकारिओ के साथ बैठक कर एवं निरीक्षणों के माध्यम से व्यवस्थाओं को समय पर दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे। अब मेला शुभारंभ होने में मात्र एक दिन शेष रह गया है जिस पर गंभीर हुए जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना अपने साथ जिला पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय के अलावा विद्युत, पेयजल, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पंचायत राज विभाग, पंचायत समिति के विकास अधिकारी, उप जिला कलेक्टर, तहसीलदार सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों को साथ लेकर सोमवार को गंगापुर मोड पर पहुंचे, जहां से उन्होंने अपने वाहनों को छोड़ दिया और सड़क पर चल रहे पद यात्रियों के साथ-साथ पैदल चलने लग गए, जिन्हें देखने के लिए ग्रामीण सड़कों पर आ गए।

**■ कैलादेवी का मेला 26 मार्च से शुरू होगा, यात्रियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है**

इस दौरान जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने जगह-जगह लगाए जा रहे निःशुल्क भोजन भंडारो में पहुंचकर भंडारा संचालकों को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने एवं सड़क से दूरी बनाकर भंडारा लगाने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने रास्ते में पड़ने वाली ग्राम पंचायत में पदयात्रियों कि सुविधा के लिए बनाए गए स्थाई शौचालयों का निरीक्षण करते हुए पेयजल के लिए लगे जल मंदिरों की जांच पड़ताल की एवं सड़क किनारे बनाए गए फुटपाथ का निरीक्षण करते हुए सड़कों में हो रहे गड्ढों को तुरंत भरने के अलावा रात्रि के समय प्रकाश व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश दिए।

इस दौरान पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय, उपखण्ड अधिकारी एवं मेला मजिस्ट्रेट प्रेमराज मीणा, विकास अधिकारी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक धर्मेंद्र कुमार मीणा, सानिवि के अधिशाषी अभियन्ता चन्द्रप्रकाश गुर्जर सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

# जोधपुर-गांधीधाम एक्सप्रेस ट्रेन प्रतिदिन होने पर लोगों ने खुशी जताई

**जालोर,** (कासं)। जिला मुख्यालय पर रविवार को रात्रि में जोधपुर-गांधीधाम एक्सप्रेस प्रतिदिन होने के कारण प्रथम बार जालोर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर स्वागत किया गया। इस अवसर पर रात्रि को शहर के सैकड़ों लोगों ने जालोर रेल यात्री सेवा व विकास समिति के जिला अध्यक्ष हीराचन्द भण्डारी के साथ मिलकर ट्रेन के लोको पायलट (ड्राईवर) का फूल माला व साफा पहनाकर स्वागत किया।

इस अवसर पर जागरुक कार्यकर्ता ममता माली ने जोधपुर गांधीधाम सुपरफास्ट ट्रेन की पूजा-अर्चना की। लोको पायलट को हीराचन्द भण्डारी ने साफा पहनाया व माला बाबूलाल राव, लोकेश बोहरा, दिनेश कुमार बारोट, चंदन नागर, नैनसिंह माली, मुकेश अग्रवाल, राजूभाई माली, नटवर अग्रवाल, होसाराम माली, नरेश सिंधी इत्यादि ने पहनाया। इस ट्रेन के चालू करने पर मण्डल रेल प्रबन्धक पंकज कुमार सिंह सीनियर डी सी एम विकास खेडा सहित रेलवे प्रशासन का आभार जताया। इस अवसर पर यात्रियों को इस ट्रेन के प्रतिदिन नियमित रूप से संचालित किये जाने पर खुशी जाहिर करते हुए यात्रियों व संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने बताया कि इस ट्रेन को जयपुर या दिल्ली तक प्रतिदिन संचालित किया जाना चाहिए, ताकि यात्रियों को आवागमन में सुविधा होगी। इसी तरह समदडी भीलडी खण्ड के यात्रियों ने पहली बार नियमित रूप से गांधीधाम सुपरफास्ट ट्रेन पहुंचने पर खुशी का इजाहर किया।

**लोगों ने जालोर रेल यात्री सेवा व विकास समिति के साथ मिलकर ट्रेन के लोको पायलट ( ड्राईवर ) का स्वागत किया।**

## गंगनहर प्रणाली में एक से नहरबंदी रहेगी

**श्रीगंगानगर,** (निसं)। गंगनहर प्रणाली में 1 अप्रैल से 20 अप्रैल तक नहरबंदी रहेगी।

इस परिपेक्ष्य में गंगनहर प्रणाली की नहरों में नहरबंदी से पूर्व उपलब्ध पानी से पेयजल भण्डारण सुनिश्चित करने हेतु 25 मार्च से आगामी आदेशों तक बाराबंदी स्थगित की जाती है। जल संसाधन के अधीक्षण अभियंता धीरज चावला ने बताया कि वर्तमान में जो नहरें वरीयता अनुसार रेग्युलेशन में हैं, उनमें प्राथमिकता पेयजल की रहेगी तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को पेयजल हेतु बरमा लगाने की अनुमति दी जाती है। यदि किसी काश्तकार द्वारा विरोध किया जाता है, तो उसके विरूद्ध कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। इन नहरों को पानी की उपलब्धता अनुसार कभी भी बंद किया जा सकता है तथा बंद होने के साथ ही इन नहरों की बाराबंदी भी स्वतः स्थगित हो जायेगी।

## राशिफल मंगलवार 25 मार्च, 2025

**पंडित अनिल शर्मा**

चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2081, श्रवण नक्षत्र रात्रि 3:49 तक, शिव योग दिन 2:53 तक, बव करण सायं 4:26 तक, चन्द्रमा आज मकर राशि में संचार करेगा।

**ग्रह स्थितिः** सूर्य-मीन, चन्द्रमा-मकर, मंगल-मिथुन, बुध-मीन, गुरू-वृष, शुक्र-मीन, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज कुमार योग रात्रि 3:46 तक है। आज शुक्र उदय पूर्व में रात्रि 9:15 पर होगा। आज पाप मोचनी एकादशी व्रत है।

**श्रेष्ठ चौघड़ियाः** चर 9:31 से 11:02 तक, लाभ-अमृत 11:02 से 2:04 तक, शुभ 3:35 से 5:06 तक।

**राहूकालः** 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 6:29, सूर्यास्त 6:37

**मेष**

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

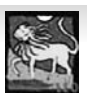

**सिंह**

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। प्रतिष्ठित व्यक्तियों से व्यवसायिक संबंध बनेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा।

**धनु**

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों-परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

**वृष**

व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

**कन्या**

व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। धार्मिक-मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

**मकर**

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनःस्थिति में सुधार होगा। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

**मिथुन**

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। व्यावसायिक खर्चों में वृद्धि हो सकती है।

**तुला**

घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

**कुंभ**

आज अनर्गल कार्यों में समय खराब होगा। मन में असंतोष बना रहेगा। घर-गृहस्थी के खर्चों में वृद्धि होगी। घर-परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा।

**कर्क**

परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। आज सामूहिक प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

**वृश्चिक**

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों-परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

**मीन**

आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बना रहेगा। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।